न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 33 / 2025

श्री देव नारायण स्वामी पुत्र श्री पूरण मल स्वामी निवासी जमात, निवाई जिला टोंक राज0

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 03.06.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑन–लाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.02. 2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1. निवाई नगरपालिका क्षेत्र में संचालित कैफे से संबन्धित जानकारी निम्नलिखित फॉर्मेट में उपलब्ध करवाये ।
क्र.स.. कैफे का नाम, कैफे मालिक का नाम, रजि. न.. फूड़ लाइसेन्स न., जमीन/प्लॉट का खसरा न.. जमीन प्लॉट का प्रकार (घरेलू/व्यवसायिक), जीएसटी न. ।

2. रजिट्रेशन, फूड लाइसेन्स, जमीन प्लॉट की जमाबन्दी, जमीन/प्लॉट का प्रकार (घरेलू/व्यवसायिक) कंवर्जन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑडिट रिपोर्ट व किरायानामा का लीजडीड़ सभी दस्तावेजों की फोटोप्रति ।

3. 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए क्या कोई नीति/नियम रहता है? उसकी पालना के लिए क्या उपाय किये जा रहे सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न करें।

4. नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये क्या निर्देश दिये गये ? कितनी बार इनका औचक निरीक्षण किया गया ? निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।

5. स्वीमिंग पूल आदी के संचालन का अनुमति पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति ।

6. ब्ल्यूप्रिन्ट व नक्शे की प्रमाणित फोटोंप्रति जो नगरपालिका या संबंधित विभाग से प्रमाणित हो । तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे अग्निशमन, आपातकालीन निकास आदी की व्यवस्था से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति ।

7. भूमि का व्यावसायिक कंवर्जन नही है तो किस आधार पर अनुमति प्रदान की गई की फोटोप्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को पत्र कमांक 528 दिनांक 15.04.2025, 606 दिंनाक 25.04.2025, 743 दिनांक 8.05.2025 व 872 दिनांक 22.05.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही

जिला कलेक्टर
टोंक

किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक